

कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर

क्रमांक-न-5(02)पु.फो./कानि.भर्ती/2021/ 2300

दिनांक : 29 अक्टूबर, 2021

कॉन्स्टेबल भर्ती हेतु विज्ञापित वर्ष 2021

राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 (यथा संशोधित) के भाग तृतीय में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान पुलिस के विभिन्न जिला/यूनिट/बटालियन में कॉन्स्टेबल सामान्य, कॉन्स्टेबल चालक, कॉन्स्टेबल बैण्ड व पुलिस दूरसंचार के 4438 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए योग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन-पत्र (online application form) आमंत्रित किए जाते हैं। यह आवेदन पत्र Online राजकॉम इन्फो सर्विसेज लि. (RISL) द्वारा संचालित समस्त ई-मित्र कियोस्क, जनसुविधा केन्द्र CSC (Common Service Centre) एवं विभाग की वेबसाइट पर विज्ञापित समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के पश्चात दिनांक 10-11-2021 से दिनांक 3-12-2021 तक भरे जा सकते हैं।

भर्ती प्रक्रिया के दौरान राज्य सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले आदेश/परिपत्र या नियमों में किसी प्रकार के संशोधन तत्समय प्रभावी रहेंगे।

कॉन्स्टेबल सामान्य/चालक व पुलिस दूरसंचार अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा ऑफ लाईन प्रक्रिया (ओएमआर आधारित) से माह दिसम्बर 2021/जनवरी, 2022 में आयोजित किये जाने की सम्भावना है, जिसकी सूचना समाचार पत्रों/वेबसाइट पर पृथक से प्रकाशित की जायेगी।

भर्ती हेतु रिक्त पदों की गणना, योग्यता एवं पात्रता, भर्ती प्रक्रिया इत्यादि का विस्तृत विवरण पुलिस मुख्यालय के स्थाई आदेश संख्या - 29/2021 में वर्णित है। किसी भी विवाद की स्थिति में उक्त स्थाई आदेश में वर्णित प्रावधानों को ही अन्तिम माना जायेगा।

आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना, समय सीमा में ऑनलाइन आवेदन करें।

1. आवेदन प्रक्रिया :-

(क) भर्ती हेतु आवेदन पत्र 'online application form' लिये जाएंगे। इस हेतु आवेदक का SSO ID उपलब्ध होना चाहिए। अगर आवेदक का SSO ID नहीं है तो वह sso.rajasthan.gov.in पर SSO ID बना सकता है अथवा SSO ID ई-मित्र कियोस्क या जन-सुविधा केन्द्र पर भी नि:शुल्क बनवाई जा सकती है। यह SSO ID आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करते समय ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र को उपलब्ध कराना/होना आवश्यक होगा।

'online application form' के सम्बन्ध में किसी भी तरह की जानकारी के लिए 9352323625 / 7340557555 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

(ख) किसी भी आवेदक द्वारा 'online application form' निम्नानुसार भरा जा सकता है :-

- i. स्वयं के स्तर पर- अभ्यर्थी अपने स्तर पर अथवा अन्य एजेन्सी (साईबर कैंफे आदि) के माध्यम से वेबसाइट <http://recruitment2.rajasthan.gov.in> पर आवेदन कर सकता है। इस संबंध में अनुदेश व प्रपत्र भी उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस स्थिति में परीक्षा शुल्क नेट-बैंकिंग या डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा करवाना होगा।
 - ii. राज्य सरकार के अधीन संचालित ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से आवेदन करने पर-
 - (a) आवेदक- आवेदन भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु संबंधित ई-मित्र कियोस्क को सेवा शुल्क देय होंगे, जिसकी कियोस्क द्वारा रसीद जारी की जायेगी।
- (ग) हाथ से भरे गये आवेदन-पत्र/हार्ड कॉपी के रूप में किसी भी प्रकार के आवेदन पत्र विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
- (घ) परीक्षा शुल्क जमा कराने के उपरान्त आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में भरे गये ई-मेल आईडी एवं मोबाईल नम्बर पर सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन-पत्र जमा हो गया है।
- (ङ) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में फोटो अपलोड करने के लिए अपना स्पष्ट एवं हाल ही में खींची गयी नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ (साईज 50 kb से 100 kb) जिस पर विज्ञापित जारी होने की दिनांक अथवा इसके पश्चात की दिनांक (DD/MM/YY) अंकित हो तथा नमूना हस्ताक्षर (साईज 20kb-50 kb) स्कैन हेतु, ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र पर साध लायें। ध्यान रखा जावे कि लिखित परीक्षा के लिए जारी होने वाले प्रवेश पत्र पर भी आवेदन पत्र के समय अपलोड की गई फोटो ही चस्पा की जायें।

नोट:-

- (1) ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वह राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 (यथा संशोधित), विस्तृत विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन करने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में दिशा-निर्देश (Instruction) का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन-पत्र अंतिम रूप से भेजने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों का प्रिंट आउट प्राप्त कर आश्वस्त हो जाए कि सभी प्रविष्टियां सही एवं पूर्ण रूप से भरी गई हैं। ऑनलाइन भरे गये आवेदन पत्र का लिया हुआ प्रिन्ट शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय साथ लाना अनिवार्य होगा।
- (2) आवेदकों की सुविधा के लिए राज्य के समस्त ई-मित्र कियोस्क तथा जन सुविधा केन्द्र की सूची वेबसाइट www.emitra.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
- (3) Online application form में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।
- (4) आरक्षण की स्थिति व नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के नवीनतम निर्देशों एवं नियमों के अधधीन परिवर्तनीय होगी।
- (5) आवेदक यह ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन के उपरान्त उन्हें आवेदन-पत्र कमांक आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा और यदि आवेदन-पत्र कमांक (एप्लीकेशन आई.डी.) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन-पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदक आवेदन प्रपत्र के preview को आवेदन submit न मानें।
- (6) आवेदन पत्र भरने की अन्तिम दिनांक के पश्चात 15 दिवस तक आवेदन पत्र में किसी भी तरह की त्रुटि सुधार हेतु वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध कराया जायेगा। इससे पूर्व या पश्चात आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार के संशोधन हेतु प्रार्थना स्वीकार नहीं होगी। यह ध्यान रखा जाये कि इन 15 दिवसों में केवल आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार का अवसर दिया जायेगा, यह आवेदन पत्र भरने का अतिरिक्त अवसर नहीं होगा।
- (7) आवेदक द्वारा online आवेदन करने तथा तत्पश्चात त्रुटि सुधार करने का समय दिया जाने पर भी किसी प्रकार की त्रुटि सुधार नहीं करने के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार माना जाकर परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा, उसकी उम्मीदवारी निरस्त समझी जायेगी।

2. परीक्षा शुल्क-

- (क) सामान्य वर्ग, राजस्थान के कीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/एमबीसी वर्ग के आवेदकों हेतु
-रुपये 500/-
- (ख) आर्थिक पिछड़ा वर्ग/राजस्थान के नॉन-कीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/एमबीसी वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सहरिया तथा सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग/एमबीसी वर्ग के ऐसे आवेदक जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम है आवेदक हेतु (केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासी हेतु)
-रुपये 400/-
(कार्मिक विभाग के परिपत्र कमांक प-8(3)कार्मिक/क-2/18 दिनांक 02-05-2018 के अनुसार)

नोट-1-बिन्दु संख्या-ख से सम्बन्धित आय प्रमाण पत्र अभ्यर्थी को शारीरिक मापतौल (पीएसटी) के समय भर्ती बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आय प्रमाण पत्र सही नहीं पाने की स्थिति में पात्रता रद्द कर दी जायेगी।

2-अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को शुल्क रुपये 500/- देय होगा।

3. लिखित परीक्षा प्रवेश-पत्र

विभाग द्वारा लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश-पत्र ऑनलाइन ही जारी किए जाएंगे और डाक से कोई भी प्रवेश-पत्र नहीं भेजा जाएगा। वेबसाइट पर लिखित परीक्षा हेतु ई-प्रवेश पत्र उपलब्ध होने की सूचना समाचार पत्रों/वेबसाइट पर पृथक से प्रकाशित की जायेगी। अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र recruitment portal पर sso id से login के पश्चात डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश-पत्र सम्बन्धी सूचना अभ्यर्थी के ई-मेल आई.डी. (E-mail ID) एवं मोबाइल नंबर पर भी भेजी जायेगी।

परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में आवेदक की कोई प्राथमिकता नहीं होगी। एक से अधिक आवेदन करने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा विभाग द्वारा कोई सुविधा प्रदान नहीं की जायेगी। विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति भी स्वीकार नहीं की जायेगी।

4. भर्ती हेतु रिक्त पद

जिला/यूनिट/बटालियन में संधारित रोस्टर पंजिका के अनुसार वर्गवार रिक्त पदों की गणना निम्नानुसार की गई है। इन पदों में उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे के लिए आरक्षित 62 पद भी सम्मिलित है। जिसके लिए अलग से विज्ञप्ति जारी कर पृथक से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाएंगे। वर्गवार आरक्षण राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशानुसार किया गया है। विभाग द्वारा विज्ञापित पदों की संख्या में किसी भी समय पर परिवर्तन किया जा सकेगा, जिसके लिए पृथक से विज्ञप्ति जारी नहीं की जायेगी। सामान्य क्षेत्र, पुलिस दूरसंचार एवं टीएसपी क्षेत्र के लिए कॉन्स्टेबल सामान्य/चालक/बैण्ड के रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है-

कॉन्स्टेबल सामान्य (सामान्य क्षेत्र)

क. सं.	जिला/यूनिट का नाम	सामान्य वर्ग महिला				आर्थिक पिछड़ा वर्ग महिला				ओबीसी वर्ग महिला				एमबीसी वर्ग महिला				एससी वर्ग महिला				एसटी वर्ग महिला				सहरिया महिला				पदों का कुल योग	मु.पु.शैक्षिकों हेतु बैकलॉग पदों सहित						
		पुरुष	सामान्य	विधवा	परित्यक्ता	योग	पुरुष	सामान्य	विधवा	परित्यक्ता	योग	पुरुष	सामान्य	विधवा	परित्यक्ता	योग	पुरुष	सामान्य	विधवा	परित्यक्ता	योग	पुरुष	सामान्य	विधवा	परित्यक्ता	योग	पुरुष	सामान्य	विधवा			परित्यक्ता	योग				
1	आयुक्तालय, जयपुर	220	62	25	6	313	367	48	19	4	238	79	22	9	2	112	31	2	1	0	34	57	17	6	1	81	28	9	3	0	40	0	0	0	0	818	102
2	जयपुर ग्रामीण	40	12	4	1	57	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	1	0	0	0	1	5	2	0	0	7	3	0	0	0	3	0	0	0	0	71	8
3	जिला करीली	21	6	2	0	29	10	3	1	0	14	12	3	1	0	16	5	1	0	0	6	5	2	0	0	7	3	0	0	0	3	0	0	0	0	75	9
4	जिला भीलवाड़ा	94	27	10	0	131	0	0	0	0	0	15	5	1	0	21	4	1	0	0	5	13	4	1	0	18	7	2	0	0	9	0	0	0	0	184	26
5	जिला राजसमन्द	52	15	5	1	73	9	2	1	0	12	8	3	1	0	12	7	2	1	0	10	9	2	1	0	12	5	1	0	0	6	0	0	0	0	125	15
6	जिला धारवाड़	32	9	4	0	45	31	9	4	0	44	21	7	2	0	30	14	5	1	0	20	12	3	1	0	16	6	2	0	0	8	0	0	0	0	163	27
7	आयुक्तालय, जोधपुर	150	43	17	4	214	0	0	0	0	0	31	9	4	0	44	28	9	3	0	40	24	7	3	0	34	12	4	1	0	17	0	0	0	0	349	43
8	जोधपुर ग्रामीण	35	10	4	0	49	0	0	0	0	0	14	4	1	0	19	11	3	1	0	15	7	2	0	0	9	3	1	0	0	4	0	0	0	0	96	12
9	जिला जैसलमेर	31	9	3	0	43	7	2	0	0	9	7	2	1	0	10	9	2	1	0	12	6	2	0	0	8	3	1	0	0	4	0	0	0	0	86	15
10	जिला जालौर	43	12	5	1	61	0	0	0	0	0	11	3	1	0	15	15	5	1	0	21	8	2	1	0	11	4	1	0	0	5	0	0	0	0	113	15
11	जिला कोटा शहर	56	16	6	1	79	0	0	0	0	0	9	2	1	0	12	8	2	1	0	11	9	2	1	0	12	5	1	0	0	6	0	0	0	0	120	25
12	जिला कोटा ग्रामीण	19	10	4	1	34	0	0	0	0	0	6	2	0	0	8	3	1	0	0	4	4	1	0	0	5	2	0	0	0	2	0	0	0	0	53	6
13	जिला भूंदी	35	10	4	1	50	0	0	0	0	0	11	3	1	0	15	5	1	0	0	6	6	2	0	0	8	3	1	0	0	4	0	0	0	0	83	10
14	जिला बारा	45	12	5	1	63	11	3	1	0	15	3	1	0	0	4	5	1	0	0	6	7	2	1	0	10	4	1	0	0	5	0	0	0	0	103	17
15	जिला झालावाड़	30	9	3	0	42	16	5	1	0	22	10	2	1	0	13	5	1	0	0	6	7	2	0	0	9	3	1	0	0	4	0	0	0	0	96	26
16	जिला बीकानेर	55	16	6	1	78	9	2	1	0	12	11	3	1	0	15	19	5	2	0	26	11	3	1	0	15	5	2	0	0	7	0	0	0	0	153	29
17	जीआरपी अजमेर	18	5	2	0	25	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	30	3
18	जीआरपी जोधपुर	10	2	1	0	13	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	16	2	
19	द्वितीय बटा आरएसी, कोटा	14	4	1	0	19	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	25	16

कॉन्स्टेबल पुलिस दूर संचार (सामान्य क्षेत्र)

क्र. सं.	जिला/यूनिट का नाम	पुरुष	सामान्य वर्ग महिला				पुरुष	आर्थिक पिछड़ा वर्ग महिला				पुरुष	ओबीसी वर्ग महिला				पुरुष	एमबीसी वर्ग महिला				पुरुष	एससी वर्ग महिला				पुरुष	एसटी वर्ग महिला				पुरुष	सहरिया महिला				पदों का कुल योग	पुरु. सैनिकों हेतु बैकलॉग पदों सहित
			सामान्य	विधवा	परित्यक्ता	योग		सामान्य	विधवा	पारत्यक्ता	योग		सामान्य	विधवा	परित्यक्ता	योग		सामान्य	विधवा	परित्यक्ता	योग		सामान्य	विधवा	परित्यक्ता	योग		सामान्य	विधवा	परित्यक्ता	योग		सामान्य	विधवा	पारत्यक्ता	योग		
1	पुलिस दूर संचार	52	15	5	1	73	17	5	1	0	23	15	5	1	0	21	11	3	1	0	15	11	3	1	0	15	5	2	0	0	7	0	0	0	0	0	154	19

कॉन्स्टेबल घालक (सामान्य क्षेत्र)

क्र. सं.	जिला/यूनिट का नाम	पुरुष	सामान्य वर्ग महिला				पुरुष	आर्थिक पिछड़ा वर्ग महिला				पुरुष	ओबीसी वर्ग महिला				पुरुष	एमबीसी वर्ग महिला				पुरुष	एससी वर्ग महिला				पुरुष	एसटी वर्ग महिला				पुरुष	सहरिया महिला				पदों का कुल योग	पुरु. सैनिकों हेतु बैकलॉग पदों सहित					
			सामान्य	विधवा	परित्यक्ता	योग		सामान्य	विधवा	पारत्यक्ता	योग		सामान्य	विधवा	परित्यक्ता	योग		सामान्य	विधवा	परित्यक्ता	योग		सामान्य	विधवा	परित्यक्ता	योग		सामान्य	विधवा	परित्यक्ता	योग		सामान्य	विधवा	पारत्यक्ता	योग							
1	11वीं बटालियन आरएसी, दिल्ली	5	1	0	0	6	3	0	0	0	3	1	0	0	0	1	3	0	0	0	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	1
2	सीआईडी सीबी	3	0	0	0	3	1	0	0	0	1	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0
3	सीआईडी आईबी	14	4	1	0	19	1	0	0	0	1	6	2	0	0	8	2	0	0	0	2	3	0	0	0	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	4
4	एसडीआरएफ	3	1	0	0	4	0	0	0	0	4	1	0	0	5	3	0	0	0	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	1
	योग-	25	6	1	0	32	5	0	0	0	5	14	3	0	0	17	8	0	0	0	8	5	0	0	0	5	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	6	

कॉन्स्टेबल सामान्य (टीएसपी क्षेत्र)

क्र. सं.	जिला/यूनिट का नाम	पुरुष	सामान्य वर्ग महिला			योग	पुरुष	एससी वर्ग महिला			योग	पुरुष	एसटी वर्ग महिला			योग	पदों का कुल योग	भूतपूर्व सैनिकों हेतु बैकलॉग पदों सहित
			सामान्य	विधवा	परित्यक्ता			सामान्य	विधवा	परित्यक्ता			सामान्य	विधवा	परित्यक्ता			
1	एमबीसी खैरवाड़ा	23	7	2	0	32	0	0	0	0	0	45	13	5	1	64	96	20
2	एमबीसी बांसवाड़ा	13	4	1	0	18	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	19	10
3	जिला उदयपुर	118	34	13	3	168	0	0	0	0	0	21	6	2	0	29	197	119
4	जिला डूंगरपुर	52	15	5	1	73	2	0	0	0	2	55	16	6	1	78	153	37
5	जिला बांसवाड़ा	29	8	3	0	40	1	0	0	0	1	56	16	6	1	79	120	40
6	महाराणा प्रताप बटालियन आरएसी	26	7	3	0	36	0	0	0	0	0	3	1	0	0	4	40	5
	योग	261	75	27	4	367	3	0	0	0	3	181	52	19	3	255	625	291

कॉन्स्टेबल चालक (टीएसपी क्षेत्र)

क्र. सं.	जिला/यूनिट का नाम	पुरुष	सामान्य वर्ग महिला			योग	पुरुष	एससी वर्ग महिला			योग	पुरुष	एसटी वर्ग महिला			योग	पदों का कुल योग	भूतपूर्व सैनिकों हेतु बैकलॉग पदों सहित
			सामान्य	विधवा	परित्यक्ता			सामान्य	विधवा	परित्यक्ता			सामान्य	विधवा	परित्यक्ता			
1	जिला बांसवाड़ा	6	2	0	0	8	1	0	0	0	1	3	0	0	0	3	12	0
2	जिला डूंगरपुर	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	5	2	0	0	7	10	0
3	एमबीसी बांसवाड़ा	7	2	0	0	9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	10	0
	योग:-	16	4	0	0	20	1	0	0	0	1	9	2	0	0	11	32	0

कॉन्स्टेबल बैण्ड (टीएसपी क्षेत्र)

क्र. सं.	जिला/यूनिट का नाम	पुरुष	सामान्य वर्ग महिला			योग	पुरुष	एससी वर्ग महिला			योग	पुरुष	एसटी वर्ग महिला			योग	पदों का कुल योग	भूतपूर्व सैनिकों हेतु बैकलॉग पदों सहित
			सामान्य	विधवा	परित्यक्ता			सामान्य	विधवा	परित्यक्ता			सामान्य	विधवा	परित्यक्ता			
1	एमबीसी खैरवाड़ा	5	1	0	0	6	0	0	0	0	0	3	1	0	0	4	10	0
2	एमबीसी बांसवाड़ा	4	1	0	0	5	1	0	0	0	1	5	2	0	0	7	13	0
	योग:-	9	2	0	0	11	1	0	0	0	1	8	3	0	0	11	23	0

5. आरक्षण:-

(क) महिलाओं के लिए:-

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ-7(2) डीओपी/ए-2/88/पार्ट-1 दिनांक 22.12.2015 के अनुसार सीधी भर्ती में महिलाओं के लिए उपरोक्त 30 प्रतिशत आरक्षण में से 8 प्रतिशत विधवाओं के लिए और 2 प्रतिशत विच्छिन्न विवाह (तलाकशुदा) महिला अभ्यर्थियों के लिए होगा। विधवा एवं विच्छिन्न विवाह महिला अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प-7(2) डीओपी/क-2/96/पार्ट दिनांक 13.01.2016 के अनुसार की जायेगी।

(ख) भूतपूर्व सैनिकों के लिए:-

राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के नियम 3(क) एवं कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5(18) डीओपी/ए-2/84 पार्ट-2 दिनांक 17.04.2018 के बिन्दु संख्या-6 नियम-6(बी) व अधिसूचना क्रमांक प-5(18) डीओपी/क-2/84 पार्ट दिनांक 22.08.2019 जोकि परिपत्र दिनांक 16.08.16 के अतिक्रमण में जारी किया गया है अनुसार निर्धारित शर्तें पूर्ण करने पर कुल रिक्त पदों के 12.5 प्रतिशत एवं गत भर्ती के बैकलॉग की रिक्ति, भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं। भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण क्षैतिज (horizontal) है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/अनुजाति/अनु. जनजाति/ओबीसी/एमबीसी/सहरिया)का होगा उसी वर्ग के पदों में समायोजित किया जावेगा।

स्पष्टीकरण- भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अन्तर्गत उसी अभ्यर्थी को पात्र माना जायेगा जो राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के नियम 3(क) के अन्तर्गत परिभाषित है।

(ग) टी.एस.पी. क्षेत्र के अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सहरिया आदिम जाति के लिए :-

- (i) राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ-13(20)कार्मिक/क-2/91/पार्ट दिनांक 04.07.2016 व क्षेत्र विस्तार के सम्बन्ध में अधिसूचना दिनांक 19-5-2018 के प्रावधानानुसार जिन क्षेत्रों को ट्राईबल सब प्लान एरिया के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है, के पदों में अनुसूचित जन जाति हेतु 45 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति हेतु 5 प्रतिशत पद तथा शेष 50 प्रतिशत अनारक्षित पद केवल स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेंगे। इन क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग, एमबीसी वर्ग व आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण 'शून्य' रहेगा।
 - (ii) भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 19.05.2018 एवं कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प-13(20) कार्मिक/क-2/91/पार्ट-3 दिनांक 01.06.2018 द्वारा (अनुसूचित क्षेत्र, राजस्थान राज्य आदेश 2018) में राज्य के जिला उदयपुर/चित्तौड़गढ़/पाली/सिरोही/राजसमन्द के क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र में नया जोड़ने/बढ़ाये जाने के कारण उन क्षेत्रों में भी अन्य पिछड़ा वर्ग/एमबीसी को आरक्षण देय नहीं है।
 - (iii) ट्राईबल सब प्लान एरिया में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से आने वाले क्षेत्रों में ट्राईबल सब प्लान एरिया के स्थानीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं स्थानीय अनारक्षित रिक्त स्थानों का विवरण भर्ती हेतु दर्शाये गये रिक्त पदों की तालिका उपरोक्त तालिका में अंकित है।
- (घ) कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-7(1)डीओपी/ए-2/2017 दिनांक 13.02.2019 के अनुसार एम.बी.सी. वर्ग के लिए 5% आरक्षण देय होगा।
- (ङ) कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-7(1)डीओपी/ए-2/2019 दिनांक 20.10.2019 के अनुसार सामान्य वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनकी वार्षिक आय 8.00 लाख रुपये कम है उन्हें आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के अभ्यर्थी मानते हुए 10% आरक्षण देय है।
- (च) उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे हेतु आरक्षित 62 पदों के लिए अलग से विज्ञप्ति जारी की जा रही है जिसके लिए अलग से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाएंगे। उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में इन पदों को अनारक्षित मानते हुए सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।
- (छ) राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थी
राजस्थान राज्य के अलावा अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/एमबीसी वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा।

6. वेतनमान और पेंशन

नियुक्ति के उपरान्त दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में 14600/-रुपये मासिक नियत पारिश्रमिक(fixed remuneration) देय होगा। तत्पश्चात् सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कॉन्स्टेबल पद की नियमित वेतन श्रृंखला एल-5 (Pay matrix-Level-5) वेतन एवं नियमानुसार अन्य भत्ते देय होंगे।

चयनित/नियुक्त होने वाले कॉन्स्टेबलों के लिए राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01-01-2004 से निर्धारित की गई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

7. भर्ती हेतु पात्रता/योग्यता/छूट

- (i) अभ्यर्थी भारत का नागरिक या नेपाल या भूटान का प्रजाजन/नागरिक होना चाहिए।
- (ii) अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिन्दी लेखन का व्यावहारिक ज्ञान तथा राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है।
- (iii) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (कॉन्स्टेबल सामान्य/पुलिस दूरसंचार/चालक/बैण्ड)

जिला/यूनिट/बटालियन	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
जिला पुलिस	मान्यता प्राप्त स्कूल/परीक्षा बोर्ड से सीनियर सैकण्डरी या बारहवीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
आर.ए.सी./ एमबीसी बटालियन बैण्ड सहित	मान्यता प्राप्त स्कूल/बोर्ड से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण
पुलिस दूरसंचार	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से भौतिक विज्ञान और गणित/कम्प्यूटर के साथ विज्ञान में सीनियर सैकण्डरी या बारहवीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण

- (iv) कॉन्स्टेबल ड्राइवर पद की पात्रता हेतु आवेदक के पास विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से न्यूनतम एक वर्ष पूर्व का बना हुआ स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस (LMV / H MV) होना आवश्यक है।

नोट- जो अभ्यर्थी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की निर्धारित परीक्षा में अध्ययनरत हैं वे भी इस भर्ती हेतु आवेदन कर सकते हैं परन्तु उन्हें शारीरिक मापतौल के समय न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होने का मूल प्रमाण पत्र/अंक तालिका प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि कोई अभ्यर्थी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होने का मूल प्रमाण पत्र/अंक तालिका प्रस्तुत नहीं करता है तो उसे शारीरिक मापतौल में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(v) आयु सीमा-

राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम-11(3) अनुसार उपरी आयु सीमा में सभी अभ्यर्थियों को 01 वर्ष का शिथिलन प्रदान किया गया है नियमानुसार आयु की गणना 01 जनवरी, 2022 को आधार मानकर निम्नानुसार की जावेगी।

(vi) कॉन्स्टेबल सामान्य/पुलिस दूरसंचार/बैण्ड आवेदकों के लिए

वर्ग (category)	निम्न तिथि के बाद का जन्म नहीं हो (न्यूनतम आयु तिथि)	निम्न तिथि के पूर्व का जन्म नहीं हो (अधिकतम आयु तिथि)	
	पुरुष/महिला	पुरुष	महिला
सामान्य	01.01.2004	02.01.98	02.01.93
ई.डब्लू.एस./एस.सी./एस.टी./बी.सी./एम.बी.सी/सहरिया वर्ग	01.01.2004	02.01.93	02.01.88
राज्य सरकार के कर्मचारियों से सम्बन्धित आशार्थियों और कर्तव्य का पालना करते हुए मारे गये मृत पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के आश्रित	01.01.2004	02.01.95	02.01.90
भूतपूर्व सैनिक	01.01.2004	02.01.79	02.01.79

(vii) कॉन्स्टेबल चालक आवेदकों के लिए

वर्ग (category)	निम्न तिथि के बाद का जन्म नहीं हो (न्यूनतम आयु तिथि)	निम्न तिथि के पूर्व का जन्म नहीं हो (अधिकतम आयु तिथि)	
	पुरुष/महिला	पुरुष	महिला
सामान्य	01.01.2004	02.01.95	02.01.90
ई.डब्लू.एस./एस.सी./एस.टी./बी.सी./एम.बी.सी/सहरिया वर्ग	01.01.2004	02.01.90	02.01.85
राज्य सरकार के कर्मचारियों से सम्बन्धित आशार्थियों और कर्तव्य का पालना करते हुए मारे गये मृत पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के आश्रित	01.01.2004	02.01.92	02.01.87
भूतपूर्व सैनिक	01.01.2004	02.01.79	02.01.79

(viii) शारीरिक मापदण्ड-

राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम-14 के अनुसार अभ्यर्थियों की ऊंचाई, सीने का माप एवं वजन निम्नानुसार होना अनिवार्य है:-

मापदण्ड	सामान्य क्षेत्र	
	पुरुष	महिला
न्यूनतम ऊंचाई	168 से.मी.	152 से.मी.
न्यूनतम सीना (केवल पुरुषों के लिए)	बिना फुलारे - 81से.मी. फुलाने पर - 86से.मी. (सीने का फुलाव कम से कम 5 से.मी.)	लागू नहीं
न्यूनतम वजन (केवल महिलाओं के लिए)	लागू नहीं	47.5 कि.ग्रा.

नोट-

- यदि सामान्य क्षेत्र के लिए उपरोक्त वर्णित शारीरिक मापदण्डों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उन्हें ऊंचाई व सीने में 5 से.मी. की छूट देय होगी।
- पहाड़ी एवं आदिवासी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम-14(2) के अन्तर्गत मापदण्ड होंगे।
- समस्त महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित न्यूनतम ऊंचाई 152 से.मी. में किसी प्रकार की छूट देय नहीं होगी।

(ix) चिकित्सकीय मापदण्ड

- अभ्यर्थी की न्यूनतम निकट दृष्टि N6 (बेहतर आँख) और N9 (बदतर आँख) होनी चाहिए, अभ्यर्थी की दोनों आँखों की दूर दृष्टि 6X6 (बेहतर आँख) तथा 6X9 (बदतर आँख) होना अनिवार्य है।
- अभ्यर्थी मानसिक रूप से जागरूक, सुदृढ स्वास्थ्य वाला एवं सभी शारीरिक विकारों, दोषों, रोगों से मुक्त होना चाहिए। अभ्यर्थी मानसिक रुग्णता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए।
- अभ्यर्थी के घुटने आपस में टकराने (knock-knee), नसों फूली हुई होना (varicose veins), भँगापन (squint), रतींधी (night blindness), आँखों में भँगापन, रंग दृष्टि दोष (colour blindness) हकलाकर बोलना (stammering), पैर समतल (flat foot) हरनिया (Hernia) शल्य प्रोब्लम (surgical problems)

या अन्य कोई विकृति/अंग-भंग जो कर्तव्य पालन में बाधक हो (any other deformity) नहीं होनी चाहिए।

8. नियुक्ति के लिए अयोग्यता

- (i) किसी भी ऐसे पुरुष/महिला उम्मीदवार को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी/पति हों नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जावेगा। किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार सन्तुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
- (ii) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके दिनांक 01-06-2002 को या उसके पश्चात 2 से अधिक संतान हों, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निर्हित नहीं समझा जावेगा, जब तक कि 01-06-2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती। जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वोत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चात्पूर्व प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं यहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक ईकाई समझा जाएगा। किसी अभ्यर्थी की सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी सन्तान की, जो पूर्वोत्तर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी।
राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ-7(1)डीओपी/ए-2/95/पार्ट-2 दिनांक 02.01.2017 में वर्णितानुसार कानूनी रूप से किये गये पुनर्विवाह उपरान्त जन्मी प्रथम सन्तान के कारण नियुक्ति के अयोग्य नहीं माना जायेगा।
- (iii) चयनित अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प-8(19)गृह-13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र यथा समय वाञ्छनीय होगा।
- (iv) किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया होगा।
स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजन हेतु 'दहेज' से यही तात्पर्य होगा जो दहेज प्रतिबन्ध एक्ट, 1961 में है। (सेन्ट्रल एक्ट 28 आफ 1961)
- (v) आयोग/भर्ती बोर्ड अथवा अन्य किसी संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा से वन्धित (debar) किये गये ऐसे आवेदक जिनके वन्धित (debar) होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं करें।
- (vi) आपराधिक प्रकरणों में लिप्त/आपराधिक प्रकरणों के तथ्य छुपाने के कारण नियुक्ति से सम्बन्धित प्रकरणों में कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार का परिपत्र क्रमांक प-1(1)कार्मिक/क-2/2016 दिनांक 4.12.2019 एवं अधिसूचना क्रमांक प-2(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 2.3.2020 में वर्णित निर्देशों के अनुसार एवं पुलिस मुख्यालय स्तर पर गठित समिति के निर्णय उपरान्त ही नियुक्ति की कार्यवाही की जावेगी। इस सम्बन्ध में राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियमों के तात्कालिक प्रावधान लागू होंगे।

9. भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया-

कॉन्स्टेबल पद पर चयन राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 25 एवं राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 के नियम 28 (3) के प्रावधानानुसार किया जायेगा। परीक्षा के सभी चरणों के कुल 200 अंक हैं जिनकी गणना निम्नानुसार की जाएगी:-

परीक्षा का चरण	कॉन्स्टेबल सामान्य/ पुलिस दूरसंचार	कॉन्स्टेबल चालक	बैण्ड
लिखित परीक्षा	150	150	लागू नहीं
शारीरिक दक्षता परीक्षा	30	20	20
दक्षता परीक्षा	लागू नहीं	30	30
विशेष योग्यता (एन.सी.सी., होमगार्ड एवं पुलिस से सम्बन्धित विषयों में डिप्लोमा/उपाधि प्राप्त) प्रमाण पत्र के आधार पर आवंटित किये जाने वाले अंक	20	लागू नहीं	लागू नहीं
अंकों का योग	200	200	50

10. लिखित परीक्षा-

लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र 150 अंकों का जिसमें वस्तुनिष्ठ (objective type) प्रकार के 150 प्रश्न होंगे तथा समयावधि 2 घंटे की होगी। प्रत्येक प्रश्न के 01 अंक देय होंगे। गलत उत्तर देने पर प्रश्न के लिए निर्धारित अंक का 25% अंक काटा जायेगा। यह परीक्षा ऑफलाइन तथा ओ.एम.आर. आधारित (offline and OMR based) होगी। प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम, अंकों का विवरण एवं प्रत्येक भाग के प्रश्नों की संख्या निम्नानुसार होगी-

भाग - विषय	प्रश्न	अंक
अ - विवेचना एवं तार्किक योग्यता तथा कम्प्यूटर का सामान्य ज्ञान	60	60
ब - सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिक विषयों पर	35	35
स- महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध एवं उनसे सम्बन्धित कानूनी प्रावधान/निर्णयों की जानकारी (इससे सम्बन्धित कुछ जानकारी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जायेगी)	10	10
स - राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल राजनीति एवं आर्थिक स्थिति इत्यादि	45	45
कुल	150	150

इस लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को कुल 40 प्रतिशत प्राप्तांक, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति वर्ग के अभ्यर्थियों को कुल 36 प्रतिशत प्राप्तांक, समग्र रूप से लाना अनिवार्य है।

ट्राईबल सब-प्लान क्षेत्र के स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक (minimum) सीमा लागू नहीं होगी।

भूतपूर्व सैनिकों को प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंक 150 का सम्बन्धित वर्ग के निर्धारित उत्तीर्णांक का समग्र रूप से 5 प्रतिशत शिथिलन तथा चयनित भूतपूर्व सैनिकों की विज्ञापित संख्या की अनुपलब्धता के मामले में राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-5(18) डीओपी/ ए-2/84/पार्ट-2 दिनांक 22.12.2020 के खण्ड-5 में वर्णित नियम अनुसार 5 प्रतिशत छूट देय होगी।

लिखित परीक्षा के पश्चात प्रश्न-पत्र सम्बन्धी आपत्तियों आमन्त्रित करने हेतु पृथक से सूचित किया जावेगा। लिखित परीक्षा में पदवार/वर्गवार/महिला/पुरुष रिक्तियों के पांचगुणा अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण किया जायेगा जिसकी सूचना एवं परिणाम वेबसाइट www.police.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकेगी एवं सम्बन्धित जिला/यूनिट/बटालियन के नोटिस बोर्ड पर भी चप्पा की जाएगी। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक अन्तिम चयन के लिए सम्मिलित किए जाएंगे।

कानि. बैण्ड हेतु लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की जायेगी।

(i) शारीरिक दक्षता परीक्षा (Physical Efficiency Test/PET) :-

सम्बन्धित जिला/यूनिट/बटालियन की पदवार/वर्गवार/महिला/पुरुष रिक्तियों के पांचगुणा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक मापतोल परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा। अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व राजकीय चिकित्सक से शारीरिक दक्षता परीक्षा की दौड़ में भाग लेने हेतु शारीरिक रूप से योग्य होने का प्रमाण पत्र सम्बन्धित केन्द्र पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेगा। उसके उपरान्त ही अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा।

लिखित परीक्षा के उपरान्त शारीरिक दक्षता परीक्षा में गर्भवती महिलाओं (प्राधिकृत चिकित्साधिकारी से जारी प्रमाण पत्र व दस्तावेज के आधार पर) को शामिल करने हेतु जिला/यूनिट स्तर पर यदि उक्त अभ्यर्थी पीएसटी/पीईटी में उत्तीर्ण हुई होती तो (विशेष अंक योग्यता के अंक सहित) आवेदन जिला/यूनिट में उसके अंक वर्ग की कटऑफ से अधिक होने की स्थिति में ही उसके लिए पद रिक्त रखा जायेगा और कटऑफ से कम अंक होने पर उसके लिए कोई पद रिक्त नहीं रखा जायेगा। गर्भवती महिला अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने की सलाह दी जाती है परन्तु शारीरिक परीक्षा के दिन उपस्थित होकर उपरोक्तानुसार सूचना को बोर्ड के समक्ष प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

1-कॉन्स्टेबल सामान्य/पुलिस दूरसंचार/चालक/बैण्ड पद के आवेदकों के लिए :-

समस्त अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 05 किमी. दौड़ निम्नानुसार समय सीमा में पूर्ण किया जाना आवश्यक है :-

पदनाम	पुरुष	महिला	भूतपूर्व सैनिक	ट्राईबल सब प्लान क्षेत्र के अनु.जाति/अनुजनजाति	अंक
कॉन्स्टेबल सामान्य/पुलिस दूरसंचार	25 मिनट	35 मिनट	30 मिनट	30 मिनट	30
कॉन्स्टेबल चालक/कॉन्स्टेबल बैण्ड	25 मिनट	35 मिनट	30 मिनट	30 मिनट	20

नोट-

- 1- शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़ हेतु केवल एक ही अवसर प्रदान किया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कोई अपील दायर करने का अवसर देय नहीं होगा।
- 2- उक्त शारीरिक दक्षता परीक्षा में निर्धारित समय अवधि में दौड़ पूर्ण नहीं करने पर अभ्यर्थियों को अनुत्तीर्ण मानते हुए नती की अग्रिम प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जावेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों के प्राप्तांक अन्तिम चयन के लिए सम्मिलित किये जायेगें।

(ii) शारीरिक मापतौल (Physical Standard Test/PST)–

भर्ती बोर्ड शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों की शारीरिक मापतौल परीक्षा लेगा। भर्ती बोर्ड शारीरिक मापतौल में उपस्थित समस्त अभ्यर्थियों को उनके मापतौल से अवगत करायेगा तथा हस्ताक्षर करायेगा। अभ्यर्थियों की मापतौल की सूची पर चयन बोर्ड के हस्ताक्षर मय सील किये जायेंगे।

अपील–शारीरिक मापतौल से असन्तुष्ट अभ्यर्थी भर्ती बोर्ड के समक्ष निर्धारित प्रक्रियानुसार नकद रूपये 500/- शुल्क जमा कराकर उसी दिन अपील कर सकता है। परीक्षार्थी यदि अपील पर शारीरिक मापतौल में सफल रहता है तो उससे लिया गया शुल्क वापस करते हुए उसे चयन प्रक्रिया में शामिल किया जायेगा। असफल रहने की स्थिति में यह शुल्क वापस नहीं किया जायेगा। अपील की क्रियान्विति के लिए भर्ती बोर्ड के साथ एक राजकीय वरिष्ठ चिकित्सकों का मेडिकल बोर्ड रहेगा, अपील उसी दिन पूर्ण की जायेगी तथा समस्त अपील के दस्तावेजों पर मेडिकल बोर्ड एवं चयन बोर्ड के हस्ताक्षर मय सील होंगे। स्थानीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से समन्वय स्थापित कर सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारी राजकीय वरिष्ठ चिकित्सकों का एक मेडिकल बोर्ड गठन कराएगा जिसमें एक फिजिशियन, एक सर्जन एवं एक हड्डी विशेषज्ञ चिकित्सक होगा। सीने की माप में अल्प समय में परिवर्तन होने की सम्भावना रहती है। अतः अभ्यर्थी को किसी प्रकार का नुकसान न हो इसलिए उसी दिन गठित मेडिकल बोर्ड से मापतौल कराई जायेगी तथा वह मापतौल ही अन्तिम मानी जाएगी। बोर्ड के समक्ष अपील किये जाने वाले अभ्यर्थियों की कार्यवाही की स्पष्ट वीडियोग्राफी होगी तथा बोर्ड प्रोसिडिंग के साथ अलग से परिशिष्ट होगा जिसमें अपील करने वाले की पूर्ण सूचना होगी। अपील के पश्चात हुई मापतौल पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होंगे। चयन बोर्ड की जिम्मेदारी होगी कि जो अभ्यर्थी छूट प्राप्त कर उत्तीर्ण हो रहा है उसे पूर्ण रूप से सूचित करेंगे तथा उसके हस्ताक्षर लेंगे।

शारीरिक मापतौल के दौरान प्रवेश पत्र पर एक सील लगाई जायेगी जिसमें छूट प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए (PST Pass with Relaxation) एवं बिना छूट प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए (PST Pass without Relaxation) अंकित होगा।

नोट– अपील के सम्बन्ध में भर्ती बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

(iii) दक्षता परीक्षा (कॉन्स्टेबल ड्राइवर/बैण्ड आवेदकों के लिए)–

शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं मापतौल में उत्तीर्ण कॉन्स्टेबल ड्राइवर/बैण्ड पद के अभ्यर्थियों हेतु दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी जो 30 अंकों की होगी। दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40 प्रतिशत, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 36 प्रतिशत, ट्राइबल सब-प्लान क्षेत्र के स्थानीय सामान्य, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंक अन्तिम चयन हेतु सम्मिलित किये जायेंगे।

कानि, ड्राइवर पद के अभ्यर्थी की वाहनों से सम्बन्धित तकनीकी जानकारी, वाहनों के रख-रखाव एवं वाहन चलाने सम्बन्धी परीक्षा ली जाएगी। कानि, बैण्ड पद के अभ्यर्थी की बैण्ड उपकरणों से सम्बन्धित तकनीकी जानकारी, उनके रख-रखाव व धुनों के ज्ञान इत्यादि से सम्बन्धित परीक्षा ली जायेगी।

दक्षता परीक्षा में निर्धारित प्राप्तांक अर्जित नहीं करने पर ऐसे अभ्यर्थी अयोग्य माने जायेंगे तथा भर्ती की अग्रिम चयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

विरतृत विवरण स्थाई आदेश संख्या-29/2021 में अंकित है।

(iv) विशेष योग्यता हेतु आवंटित अंक–

कॉन्स्टेबल सामान्य पद के अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता एवं मापतौल परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त विशेष योग्यता हेतु प्रमाण पत्रों के आधार पर निम्नानुसार अंक (कुल अंक 10) प्रदान किये जायेंगे:–

एन.सी.सी.

क्र.सं.	प्रमाण पत्र की श्रेणी	अंक
1	सी- प्रमाण पत्र	10
2	बी- प्रमाण पत्र	8
3	ए- प्रमाण पत्र	6

होमगार्ड

क्र.सं.	सेवा अवधि	अंक
1	होमगार्ड में निरन्तर 3 वर्ष तक सेवा देने पर	10
2	होमगार्ड में निरन्तर 2 वर्ष तक सेवा देने पर	8
3	होमगार्ड में निरन्तर 1 वर्ष तक सेवा देने पर	6

पुलिस से सम्बन्धित विषयों में डिप्लोमा/उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी

क्र.सं.	डिप्लोमा/उपाधि प्राप्त	अंक
1	एम.ए./एम.एस.सी. कीमीनोलाजी, साईबर सुरक्षा एवं इससे सम्बन्धित विषय	10
2	सिक्यूरिटी मैनेजमेन्ट व सोशल साइन्स (पुलिस प्रशासन या कानून के रूप में कम से कम एक विषय) में बीए/एलएलबी की उपाधि	8
3	उपरोक्त विषयों में डिप्लोमा प्राप्त	6

(उपरोक्त तीनों में से अभ्यर्थी के द्वारा इंगित कोई भी दो का विशेष योग्यता के अंकों की गणना के लिए उपयोग होगा)

नोट- पुलिस से सम्बन्धित विषयों में डिप्लोमा/उपाधि के सम्बन्ध में किसी भी विवाद की स्थिति में सरदार बल्लभभाई पटेल पुलिस विश्वविद्यालय, जोधपुर के कुलपति का निर्णय अन्तिम माना जायेगा।

(v) चयन सूची-

अभ्यर्थियों द्वारा समग्र प्रकार (लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा/मापतौल, विशेष योग्यता एवं चालक पद की दक्षता परीक्षा) के प्राप्तांकों के आधार पर प्रत्येक स्तर पर वर्गवार रिक्त पदों के अनुरूप वरीयताक्रम में चयन सूची राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ-7(1)डीओपी/ए-2/99 दिनांक 26.07.2017 में निहित प्रावधानानुसार तैयार की जावेगी। राज्य सरकार का उक्त परिपत्र चयन प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर प्रभावी रहेगा अर्थात् यदि आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में स्वयं के वर्ग में उत्तीर्ण हुआ है परन्तु उसके अंक अनारक्षित वर्ग के कटऑफ से कम है तो अन्तिम चयन सूची में उसका चयन अनारक्षित वर्ग के पदों के विरुद्ध नहीं किया जायेगा।

(vi) स्वास्थ्य परीक्षण-

चयन सूची की घोषणा के बाद उम्मीदवारों को सरकारी मेडिकल बोर्ड द्वारा चिकित्सीय परीक्षण से गुजरना होगा। स्वास्थ्य परीक्षण जिला/यूनिट के रिजर्व पुलिस लाइन में होगी। उम्मीदवार जो अस्थाई रूप से अयोग्य पाए जाते हैं और जिनके दोष को चिकित्सा अधिकारी की राय के अनुसार 6 महीने के भीतर ठीक किया जा सकता है, उक्त अवधि के बाद नियुक्ति के लिए पात्र होंगे बशर्ते कि वे मेडिकल बोर्ड द्वारा फिट पाये जाते हैं। जो उम्मीदवार निर्धारित समय के भीतर पुनः परीक्षा के बाद भी चिकित्सा फिटनेस के निर्धारित मानकों को पूरा करने में विफल रहते हैं, उन्हें नियुक्ति के लिए चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित किया जाएगा और उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

मेडिकल बोर्ड से चिकित्सीय परीक्षण में उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति हेतु पात्र माना जाएगा।

अपील- उक्त चिकित्सीय परीक्षण में अनुपयुक्त पाये जाने वाले अभ्यर्थियों द्वारा अपील करने पर द्वितीय मेडिकल बोर्ड गठित कर चिकित्सीय परीक्षण कराया जायेगा। पुनः स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना अभ्यर्थी का अधिकार नहीं है। परन्तु स्वास्थ्य परीक्षण की अयोग्यता की स्थिति में प्रथम बोर्ड द्वारा किये गये स्वास्थ्य परीक्षण की दिनांक से एक माह के भीतर दस्तावेजी सबूत के साथ अपील करने पर विभाग विचार कर सकता है।

(vii) प्रमाण पत्र एवं चरित्र सत्यापन-

चयन सूची पर लिये गए अभ्यर्थियों के आयु, शिक्षा एवं वर्ग, चालक लाईसेंस एवं विशेष योग्यता इत्यादि से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जाँच कराई जाएगी तथा वेरीफिकेशन रोल भरवाया जाकर चरित्र सत्यापन कराया जाएगा। प्रत्येक दस्तावेज पर दिनांक अंकित होना आवश्यक है। सत्यापन के उपरान्त उपयुक्त पाये जाने वाले अभ्यर्थी को ही नियमानुसार नियुक्ति हेतु पात्र माना जावेगा।

11. प्रमाण पत्र-

अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET/PST) के समय निम्नांकित मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी स्व-प्रमाणित (Self attested) एक प्रतिलिपि प्रस्तुत करने होंगे-


- (i) शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र।
- (ii) आयु प्रमाण-पत्र (यदि शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र में आयु अंकित नहीं है तो)
- (iii) अभ्यर्थी यदि अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/एमबीसी वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित है तो प्रथम श्रेणी दण्डनायक या समकक्ष अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया जाति प्रमाण-पत्र।
- (iv) कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-7(1)डीओपी/ए-11/2019 दिनांक 20.10.2019 के क्रम में आर्थिक पिछड़ा वर्ग के आवेदक आवेदन वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष अर्थात् वर्ष 2020-21 की आय का ऑनलाईन जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे।
- (v) आवेदक यदि राजकीय कर्मचारी है तो राजकीय कर्मचारी होने का प्रमाण-पत्र एवं नियोक्ता/विभागाध्यक्ष द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
- (vi) आवेदक यदि कर्तव्य का पालन करते हुए मारे गये मृतक पुलिस अधिकारी/कर्मचारी का आश्रित है तो उसकी सन्तान होने का प्रमाण-पत्र।
- (vii) अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने वाली संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा जारी किया हुआ चरित्र प्रमाण-पत्र एवं दो स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों (रिश्तेदारों के अतिरिक्त) द्वारा जारी किये गये चरित्र प्रमाण-पत्र जो 6 माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।

- (viii) भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में एनओसी/डिस्ट्रिक्ट प्रमाण पत्र/पेंशनर प्रमाण पत्र।
- (ix) टीएसपी क्षेत्र से सम्बन्धित प्रमाण पत्र।
- (x) निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट ली है तो मूल आवेदन पत्र की फोटो प्रति एवं आय प्रमाण पत्र।
- (xi) आवेदक से सम्बन्धित सूचना के लिए विभाग द्वारा चयन उपरान्त निर्धारित आवेदन पत्र भरवाया जायेगा जिसमें चिपकाने के लिए स्वयं के दो (4.5X3.5सेमी.)रंगीन फोटो।
- (xii) विधवा के मामले में उसे अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विच्छिन्न विवाह के मामले में उसे विवाह विच्छेद का दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत करना होगा।
- (xiii) कॉन्स्टेबल ड्राईवर हेतु स्थाई ड्राइविंग लाईसेंस (LMV / H MV) जो कि विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से कम से कम एक वर्ष पूर्व का जारी हो की मूल प्रति।
- (xiv) एनसीसी, होमगार्ड एवं पुलिस से सम्बन्धित विषयों में डिप्लोमा/उपाधि प्राप्त करने के प्रमाण पत्र।

12. महत्वपूर्ण निर्देश

- (i) राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 4 में उल्लेखित सेक्शन (i), (ii) (दो एमबीसी बटालियनों के मध्य) व (iv) में भर्ती कानि. को राजस्थान के किसी भी जिला/बटालियन/आई.आर. बटालियन में पदस्थापित किया जा सकेगा।
- (ii) जिस जिला/बटालियन/यूनिट में जिस वर्ग/लिंग के पद रिक्त हैं उन्हीं के लिए आवेदन-पत्र स्वीकार्य होंगे।
- (iii) आवेदन-पत्र में अंकित सभी तथ्य व सूचनाएं सही होनी चाहिए। आवेदन-पत्र में अंकित सूचना किसी भी स्तर पर गलत अथवा अपूर्ण पाई जाने पर आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। गलत अथवा अपूर्ण सूचना की जानकारी शारीरिक दक्षता परीक्षा अथवा चयन प्रक्रिया के उपरान्त किसी भी स्तर पर सत्यापित हुई तो अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु पात्रता व नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जायेंगे। यदि उक्त गलत सूचना नियुक्ति के बाद भी ज्ञात हुई तो राज्य सेवा से निष्कासन करते हुए नियमानुसार विधि संगत कार्यवाही की जाएगी।
- (iv) निरस्त किए गये आवेदन-पत्रों की शुल्क की वापसी नहीं की जाएगी।
- (v) राजकीय सेवा में सेवारत कर्मचारियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय सम्बन्धित विभागाध्यक्ष का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उनकी पात्रता निरस्त की जा सकती है।
- (vi) चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में सम्मिलित होने के लिए यात्रा अथवा दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।
- (vii) परीक्षा के सभी चरणों में अभ्यर्थी को प्रवेश-पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा। प्रवेश-पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को परीक्षा में भाग नहीं लेने दिया जाएगा।
- (viii) अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में स्वयं की जिम्मेदारी पर भाग लेगा। इस परीक्षा के समय किसी भी प्रकार की अस्वस्थता, शारीरिक हानि अथवा मृत्यु होने की दशा में उसे कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।
- (ix) छद्मवेश में कार्य करने अथवा तथ्यात्मक सूचना को छिपाने वाले, जाली दस्तावेज का उपयोग करना दण्डनीय अपराध है। अपराध की गम्भीरता को देखते हुए उन्हें आगामी वर्षों में राज्य सरकार के अधीन किसी पद हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा में प्रवेश करने से स्थाई अथवा विनिर्दिष्ट अवधि हेतु बन्धित भी किया जा सकता है। यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध पूर्व में ऐसा आदेश जारी किया गया हो, जिसकी अवधि समाप्त न हुई हो तो वह इस परीक्षा हेतु अपात्र माना जाएगा।
- (x) अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर उनके विरुद्ध सक्षम अधिकारी, जो भी उचित समझे कार्यवाही कर सकता है, जिसमें परीक्षार्थी के विरुद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत समुचित कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।
- (xi) अन्तिम रूप से चयन उपरान्त अभ्यर्थियों से पृथक से निर्धारित किया गया आवेदन पत्र भरवाया जायेगा जिसमें विज्ञप्ति के बिन्दू संख्या-11 में वर्णितानुसार सूचना अंकित करते हुए चाहे गये प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी।
- (xii) लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं (ओ.एम.आर.शीट) की जाँच व परिणाम जारी करने का कार्य कम्प्यूटर की मदद से किया जाएगा। परीक्षा के दौरान उत्तर-पत्रक में उत्तर पत्रक के पीछे की ओर छपे निर्देशों के अनुरूप सूचना भरना अनिवार्य है। उत्तर-पत्रक पर आवश्यक तथ्य अंकित न करने अथवा गलत तथ्य अंकित करने पर अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। मूल्यांकन कार्य कम्प्यूटर द्वारा होने के कारण पुनर्गणना अथवा उत्तर-पत्रक की प्रति उपलब्ध कराने की प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाएगी। उत्तर पत्रक भरने के सम्बन्ध में निर्देश एवं नमूना, प्रवेश पत्र, राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे।
- (xiii) भर्ती प्रक्रिया से सम्बन्धित स्थाई आदेश संख्या-29/2021 एवं विज्ञप्ति विभाग की वेबसाइट <http://recruitment2.rajasthan.gov.in> एवं www.police.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। भर्ती के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी सूचना भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी।
- (xiv) आवेदन पत्र भरने के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शंका/समस्या के समाधान हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम दिनांक तक हैल्प लाईन नम्बर **9352323625 / 7340557555 and email id- recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.in** पर सम्पर्क किया जा सकता है।

भर्ती प्रक्रिया के सम्बन्ध में राज्य सरकार व पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी नियम, परिपत्रों का विज्ञप्ति में समावेश किया गया है फिर भी भर्ती हेतु प्रचलित किसी नियम/परिपत्र का समावेश होने से रह जाने की स्थिति में भी ऐसे नियम/परिपत्र उक्त भर्ती में प्रभावी माने जायेंगे। इसी प्रकार नियमों, परिपत्रों में संशोधन (amendments) भी लागू होंगे।


 29/10/2021

(बिनीता ठाकुर)

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. महानिदेशक, गृहरक्षा/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो/कारागार/कानून एवं व्यवस्था, राजस्थान।
2. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
3. पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर।
4. समस्त महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
5. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, राजस्थान जयपुर।
6. समस्त पुलिस अतिरिक्त आयुक्त/उपायुक्त जयपुर/जोधपुर।
7. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान मय जी.आर.पी., अजमेर/जोधपुर/आसूचना, जयपुर एवं प्रशासन एवं अन्वेषण सीआईडी सीबी, पुलिस दूरसंचार राजस्थान जयपुर।
8. समस्त कमाण्डेन्ट, आर.ए.सी. मय आई.आर./एम.बी.सी. /हाडीरानी महिला बटालियन।
9. समस्त प्रधानाचार्य पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र/कमाण्डेन्ट, पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, राजस्थान।
10. संयुक्त शासन सचिव, गृह (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान।
11. संयुक्त निदेशक(प्रचार), सी.आई.डी.(सी.बी.), राजस्थान।
12. निदेशक, समाज कल्याण/नियोजन/सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान।
13. सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड, राजस्थान।
14. प्रभारी, कम्प्यूटर सेल, पुलिस मुख्यालय को राजस्थान पुलिस की वेबसाईट पर विज्ञापन अपलोड करवाने हेतु।



अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड,
राजस्थान, जयपुर।